प्रेस नोट **दिनांक 11.08.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 11.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 339 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

चोरी की घटना का त्वरित सफल अनावरण

03 नफर शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी किये गये नगद रुपये व 03 अदद कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 11.08.2026 को रैनी बगीचा के पास से मु0अ0सं0 117/2026 धारा 331(4)/305(A) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1. अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 2. आदर्श मधेशिया उर्फ कन्हैया गुप्ता पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 3. मोहम्मद रहीम पुत्र मो0 सुल्तान निवासी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चोरी के 20000 रू0 नगद तथा तीन अदद जिन्दा प्रतिबंधित कारतूस 9MM बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने से यह तथ्य प्रकाश में आया कि पकड़ा गया शातिर चोर अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का मूल निवासी है जो एक शातिर किस्म का अभ्यस्त चोर है, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही थाना स्थानीय से गिरफ्तार होकर जेल गया था, जेल से जमानत पर छूटकर कुछ दिन पूर्व आया था उक्त अपराधी थाने का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है, कड़ाई से पूछने पर बताया कि मेरे मां के द्वारा मेरी जमानत कराने में काफी पैसे खर्च कर दिये गये है, जो कई जगह से उधार लिया गया है, उसी पैसे की भरपाई के लिए तथा नशा आदि करने के लिए मै तथा मेरा सगा भाई आदर्श मधेशिया उर्फ कन्हैया गुप्ता पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व उसके दोस्त मोहम्मद रहीम पुत्र मो0 सुल्तान निवासी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के साथ योजना बनाकर घर से पैदल निकलकर दसई पोखरा स्थित सरकारी देशी शराब के ठेके में पीछे से छत के रास्ते अन्दर घुसकर सेल्स मैन के पास रखे कैश बाक्स को चोरी करके हम लोग लेकर पुनः छत के रास्ते से होते हुए बाहर आ गये, रास्ते में हम लोगो के द्वारा आपस में पैसे का बटवारा किया गया। कैस बाक्स के अन्दर कुल 20000 रू0 मौजूद थे, जिसको हम लोगो ने अपना अपना हिस्सा लगा कर कैस बाक्स को नाले में फेक किया दिया गया था। जो पैसा हम लोगो के पास से बरामद हुआ है, यह वही पैसा है, जो सरकारी ठेके से चोरी किया गया है तथा प्रतिबंधित कारतूस के बारे में पूछा गया तो कोई संतोष जनक उत्तर नही दे सका।

अभियुक्तगण आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-126/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0-047/2026 धारा 7/25 आयुध अधि0 व 303(2),317(2),317(4),317(5) बीएनएस थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0-0065/2026 धारा 7/25 आयुध अधि0 थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

4. मु0अ0सं0-206/2024 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

5. मु0अ0सं0-209/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

6. मु0अ0सं0-70/25 धारा 303(2)/317(2)(317(4)/317(5)/3336(3)/338/34092) बीएनएस थाना मु0बाद जनपद मऊ

7.मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

8. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 व 9/7/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

2.अभियुक्त आदर्श मधेशिया उर्फ कन्हैया गुप्ता पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 112/2025 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

2.मु0अ0सं0 427/2024 धारा 3(5)/305/317(2)/324(4)/331(4) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 व 9/7/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3. अभियुक्त मोहम्मद रहीम पुत्र मो0 सुल्तान निवासी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 117/2026 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 व 9/7/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 117/2026 धारा 331(4)/305(A)/ 317(2)/317(4) बी0एन0एस0 व 9/7/25 आर्म्स एक्ट एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. आदर्श मधेशिया उर्फ कन्हैया गुप्ता पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. मोहम्मद रहीम पुत्र मो0 सुल्तान निवासी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1.चोरी के 20000 रू0 नगद

2.तीन अदद जिन्दा प्रतिबंधित कारतूस 9MM बरामद